वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ०प्र०)

Web: www.vbspu.ac.in Email:connectpuregistrar@gmail.com

पत्रांक : 11380/पू.वि.वि./कु०स०/2025 दिनांक : 11 मार्च, 2025
समाप्रशा०

कार्यालय आदेश

परिवहन आयुक्त महोदय के पत्र संख्या–166PA-TC-2025 दिनांक–13.02.2025 जो आपको प्रेषित है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें श्री न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे (पूर्व न्यायाधीश, मा० सर्वोच्च न्यायालय), अध्यक्ष, सड़क सुरक्षा समिति मा० सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में दिनांक–05.02.2025 को लखनऊ में सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसके क्रम में उ०प्र० शासन, लखनऊ के पत्रांक–06/2025/364/तीस–3–2025 दिनांक–11.02.2025 द्वारा बैठक में मा० अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा प्राप्त निर्देशों का अनुपालन किये जाने के हेतु आदेशित किया गया है। निर्देशों का विवरण निम्नवत हैं–

1. पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में कार्यरत सभी नियमित, संविदा एवं आउटसोर्स अधिकारी व कर्मचारी तथा अध्ययनरत छात्र/छात्राएं जो दुपहिया वाहन से आते हैं, वे हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक हो ।
2. पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में जो अधिकारी/कर्मचारी तथा अध्ययनरत छात्र/छात्राएं चार पहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें एवं अन्य सभी सह यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो ।
3. सभी विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी इस निर्देश का पूर्णतः पालन करें ।
4. पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मी हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनुपालन की जांच करें। बिना हेलमेट/सीट बेल्ट के प्रवेश करने पर रोक लगाई जाए।
5. सभी अधिकारी/कर्मचारी सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु जागरूक हों और हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं।
6. सभी अधिकारी/कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त निर्देश केवल एक औपचारिकता न होकर, प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सभी को इस पहल को गंभीरता से लेना चाहिए और समाज एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना चाहिए ।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उक्त निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना/ कराना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्तअधिकारी/परीक्षा नियन्त्रक ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शिक्षकगण, विश्वविद्यालय परिसर।
3. कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना/रोवर्स रेंजर्स।
4. डॉ0 श्याम कन्हैया, नोडल अधिकारी, सड़क सुरक्षा को इस आशय से कि उक्त निर्देशों का अनुपालन कराने के साथ–साथ प्रचार प्रसार भी कराना सुनिश्चित करें।
5. समस्त प्राचार्य/प्रबन्धक, सम्बद्ध महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
6. अधिष्ठाता छात्र कल्याण/चीफ प्राक्टर/चीफ वार्डेन/समस्त वार्डेन/समन्वयक आईक्यू०ए०सी०, विश्वविद्यालय परिसर
7. सचिव, क्रीड़ा परिषद।
8. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव।
9. प्रभारी, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
11. अधीक्षक/प्रभारी/कर्मचारीगण, समस्त विभाग/अनुभाग।

कुलसचिव